प्रेस विज्ञप्ति

31.12.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), रायपुर आंचलिक कार्यालय ने भारतमाला योजना के तहत रायपुर-विशाखापत्तनम राजमार्ग परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु प्राप्त अवैध मुआवजे के मामले में 29.12.2025 को छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर और महासमुंद में स्थित दस परिसरों में हरमीत सिंह खानुजा और अन्य के आवासीय और कार्यालय परिसरों पर पीएमएलए, 2002 के तहत तलाशी अभियान चलाया।

रायपुर स्थित एसीबी/ईओडब्ल्यू द्वारा तत्कालीन एसडीओ (राजस्व), अभनपुर, रायपुर के निर्भय साहू और अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 और भारतीय दंड संहिता, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर ईडी ने जांच शुरू की। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि रायपुर-विशाखापत्तनम राजमार्ग परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के आधिकारिक अभिलेखों में हेराफेरी करके आरोपियों ने सरकारी अधिकारियों के साथ मिलीभगत से अवैध मुआवजा प्राप्त किया।

ईडी की जांच में पता चला कि आरोपियों ने कुछ लोक सेवकों के साथ आपराधिक साजिश रचकर, पिछली तारीखों की प्रविष्टियों के माध्यम से परिवार के सदस्यों के बीच "जानबूझकर बड़े भू-भागों को विभाजित करके" भारतमाला परियोजना के तहत अधिग्रहित भूमि के लिए धोखाधड़ी से अधिक मुआवजा प्राप्त किया। भूमि अधिग्रहण से पहले कई छोटे-छोटे भूखंडों को प्रदर्शित करने के लिए भूमि का यह कृत्रिम विभाजन किया गया था, जिससे मुआवज़ा प्रणाली का दुरुपयोग करके अधिक मुआवज़ा प्राप्त किया जा सके। राजस्व अभिलेखों में हेरफेर करके यह दर्शाया गया कि ये विभाजन अधिग्रहण प्रक्रिया से पहले ही हो गए थे, जिसके परिणामस्वरूप अवैध रूप से बढ़ाए गए मुआवज़े की राशि स्वीकृत और वितरित की गई। इस प्रकार प्राप्त अतिरिक्त अवैध मुआवजा अपराध की आय (पीओसी) थी और इसके परिणामस्वरूप सरकारी खजाने को अनुचित नुकसान हुआ तथा आरोपी व्यक्तियों को तदनुसार अवैध लाभ प्राप्त हुआ।

तलाशी अभियान के परिणामस्वरूप 40 लाख रुपये नकद, डिजिटल उपकरण और विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए। इसके अलावा, तलाशी अभियान के दौरान अनुसूचित अपराध को अंजाम देने से प्राप्त अपराध की आय से संबंधित व्यक्तियों के नाम पर अर्जित कई चल और अचल संपत्तियों की पहचान की गई।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।